भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 2425
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 मार्च, 2016 को दिया गया)

कंपनी लॉ बोर्ड के ऑनलाइन विनिर्णय/निर्णय

2425. श्री रमेश चन्द्र कौशिक :
श्री पी.पी. चौधरी :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंपनी लॉ बोर्ड के विनिर्णय/निर्णय ऑनलाइन उपलब्ध हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार का कंपनी लॉ बोर्ड के निर्णयों/विनिर्णयों को ऑनलाइन करने और जनता की पहुंच में लाए जाने का विचार है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और
(ङ) क्या सरकार की कंपनी लॉ बोर्ड को ई-न्यायालय पहल के अंतर्गत शामिल करने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) से (ड.): कंपनी अधिनियम, 1956 और 2013 की विभिन्न धाराओं के अधीन वर्ष 2010 से अब तक कंपनी विधि बोर्ड द्वारा दिए गए आदेश बोर्ड की वेबसाइट, अर्थात् www.clb.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। वर्तमान में कंपनी विधि बोर्ड को ई-न्यायालय के अधीन लाने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का गठन होने पर यह बोर्ड विघटित हो जाएगा।

*****